राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प्रशि./जनप्र/2013/348 दिनांक : 26/6/13

–:: प्रवेश विज्ञप्ति ::–

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति)

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय/ निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 2013–14 हेतु प्रारम्भ होने वाले जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (तीन वर्ष छः माह, जिसमें छः माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला /पुरूष अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र की प्रति विभागीय वैबसाईट से डाउनलोड करके प्राप्त की जा सकती है। उसमें टंकित/ हस्तलिखित प्रपत्र में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र **अति. निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित करते हुये** रजिस्टर्ड /साधारण डाक/स्पीड पोस्ट से अन्तिम दिनांक को सांय 6:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र बन्द लिफाफे में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर के स्वागत कक्ष में रखे बन्द बक्से में भी अन्तिम दिनांक को सांय 6:00 बजे तक डाले जा सकेंगे। आवेदन पत्र अन्तिम तिथि तक इस निदेशालय को प्राप्त हो जावे, इसकी जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी। डाक की देरी, खो जाने आदि के लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा। दिनांक 16.07.2013 (सांय 6:00 बजे) के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 100/– रूपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी हेतु 50/– रूपये) के भारतीय पोस्टल आर्डर/डीडी जो **आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान – जयपुर** के नाम देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त प्रशिक्षण कोर्स हेतु आवेदन एवं प्रवेश की शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(A.) शैक्षणिक योग्यता :–

1. पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टी.डी.सी. अथवा नई (10+2) स्कीम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डो की इसके समकक्ष परीक्षा, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत) न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनो परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐ संलग्न करें)।
2. यदि उपरोक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग, / श्रेणी में उपलब्ध नही होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु ही, अन्य विषय वर्ग(कृषि विज्ञान सहित) उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा।

(B.) आयु (01.10.2013 को संदर्भ मानकर गणना की जावेगी।) :-

दिनांक 01.10.2013 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) का अंकन करते हुए तिथि विवरण अर्थात् 2 अक्टूबर 1985 से पूर्व एवं 2 अक्टूबर 1996 के बाद जन्में सामान्य श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थी तथा सामान्य श्रेणी की 2 अक्टूबर 1979 से पूर्व एवं 2 अक्टूबर 1996 के बाद जन्मी महिलाऐ आवेदन के लिए अपात्र होगी।

विभागीय कोटे के अभ्यर्थियों मे नियमित कार्यरत प्रसाविकाओं (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) (संविदा/समेकित वेतन अवधि नियमित नही मानी जायेगी) हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है (अर्थात् 2 अक्टूबर 1973 से पूर्व जन्मी अपात्र होगी।)

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। (जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका/ प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे।)

(C.) अन्य सामान्य जानकारी :-

1. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि एवं पाठ्यक्रम की अवधि एवं पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।
2. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का एक प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य प्रशिक्षण केन्द्र पर स्थानान्तरण पूर्णतः निषिद्ध होगा।
3. प्रशिक्षण हेतु महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों का चयन 80:20 अनुपात में होगा। किसी वर्ग/ श्रेणी में महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग/श्रेणी के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश देय होगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को तीन माह के प्रशिक्षण के बाद पीटीएस परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जिसमें अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण से पृथक किया जा सकेगा।
5. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कोई भी अन्य प्रमाण पत्र न तो जोड़ा जाएगा और न ही संशोधित किया जावेगा।
6. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नही होने, अहस्ताक्षरित होने, शुल्क संलग्न न होने अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त कर दिया जावेगा।
7. प्रशिक्षण में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जावेगी। अतः सभी संस्थानों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जावे। उसी के आधार पर मेरिट अनुसार संस्था का आवंटन कर दिया जावेगा।
8. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ्य होना अनिवार्य है जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाईनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।
9. आवेदन कर्त्ता को आवेदन पत्र के साथ 9'' X 4'' की साईज के दो लिफाफे जिस पर स्वयं का पूर्ण पता लिखा हो, संलग्न करना आवश्यक है।
10. सत्र आरम्भ होने की सम्भावित तिथि माह अक्टूबर, 2013 है।
11. नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

(D.) काउंसलिंग :–

1. काउंसलिंग प्रारम्भ करने की संभावित अवधि माह अगस्त 2013 है। काउंसलिंग में अभ्यर्थी का व्यक्तिशः उपस्थित होना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम एक अभिभावक को काउंसलिंग में अनुमति दी जा सकेगी। अनुपस्थित अभ्यर्थी का प्रवेश पाने का अधिकार समाप्त समझा जावेगा।
2. काउंसलिंग की सूचना (विस्तृत कार्यक्रम) विभागीय वैबसाईट /नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी। अभ्यर्थी को डाक से सूचना प्राप्त न होने पर भी वह उक्त सूचना के आधार पर काउंसलिंग में उपस्थित हो सकेगा।
3. प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी की राज्य स्तरीय मेरिट एवं अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर कम्प्यूटर प्रोग्राम के जरिये किया जावेगा। जिसकी सूचना विभागीय वैबसाईट व मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कराई जायेगी। अभ्यर्थियों को अपनी रूचि के प्रशिक्षण केन्द्रों को दर्शाते हुए विकल्प पत्र काउंसलिंग स्थल पर ही भरकर प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय उपलब्ध रिक्त सीटों की सूचना काउंसलिंग स्थल पर ही उपलब्ध रहेगी। जिनको एल.सी.डी. प्रोजेक्टर के माध्यम से काउंसलिंग स्थल पर ही प्रदर्शित किया जाता रहेगा। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु 180/– रूपये फीस तथा निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु 10,000/– रूपये फीस पेटे अग्रिम जमा राशि का बैंक ड्राफ्ट जो **"रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर"** के नाम देय हो, प्रवेश की स्थिति में काउंसलिंग स्थल पर ही जमा कराना होगा। तत्पश्चात् ही चयनित अभ्यर्थी को आवंटन पत्र व जमा राशि की रसीद मौके पर देय होगी।
4. रूचि के केन्द्र में प्रवेश मिलने पर काउंसलिंग कक्ष में सहमति व्यक्त करने के बाद काउंसलिंग समाप्त होने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नही लेगा/प्रशिक्षण को छोड देता है तो उसके द्वारा फीस पेटे जमा अग्रिम राशि जब्त योग्य होगी।
5. सर्वप्रथम राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटो पर "आरक्षण की श्रेणीवार" प्रवेश दिया जायेगा और **वर्गवार राजकीय केन्द्रों की सीटें समाप्त होते ही निजी नर्सिंग स्कूल्स हेतु आवंटन प्रारम्भ कर दिया जावेगा।** अतः अभ्यर्थी को दोनों तरह से सम्भावित प्रवेश की तैयारी के साथ आना होगा। प्रवेश लेने की सहमति/असहमति मौके पर ही देनी होगी। उसके लिए काउंसलिंग कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नही दी जावेगी।
6. निजी नर्सिंग स्कूल्स की प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों की उपस्थिति की सूचना संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल को निर्धारित अवधि में तत्परता से प्रस्तुत करनी होगी। यदि उपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना किसी संस्थान द्वारा नही दी गई या सूचना देने में विलम्ब किया गया हो तो ऐसी निजी नर्सिंग स्कूल में आवंटन नही होने के फलस्वरूप रिक्त रहने वाली सीटों के लिये ऐसी निजी नर्सिंग स्कूल का स्वयं का दायित्व होगा एवं आगामी काउंसलिंग में उस नर्सिंग स्कूल को सम्मिलित नही किया जावेगा।
7. काउंसलिंग हेतु विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी का उनकी उपस्थिति के समय उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही विकल्प मान्य होगा।
8. प्रवेशित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रादि/अंकतालिका उनके नर्सिंग स्कूल्स में ही रहेंगे और इनका संबंधित बोर्ड/ संस्थान से सत्यापन करा लिये जाने के बाद ही लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान कोई दस्तावेज फर्जी पाया जायेगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए उसके खिलाफ अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जायेगा।
9. राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र, आवंटित होने की स्थिति में अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज भी काउंसलिंग स्थल पर ही जमा कराने होंगे, अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जावेगा।

(E.) विभागीय सेवारत कर्मचारी :–

राजकीय/ निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सेवा में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए योग्यताएं/शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. योग्यताधारी विभागीय कर्मचारी, नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से, निर्धारित तिथि तक, आवेदन करें।
2. चयनित होने पर विभागीय कर्मचारियों को नियमानुसार अवकाश लेना होगा।
3. राज्य सरकार के पत्र कमांक प. 8 (6) चि/ग्रुप–3/88 दिनांक 14.10.1997 के प्रावधानानुसार विभागीय कर्मचारी दिनांक 01.10.2013 को 35 वर्ष से अधिक आयु के नही होने चाहिए तथा उक्त दिनांक को नियमित नियुक्ति में पॉच वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (5) चि.स्वा. – 3/93 पार्ट दिनांक 01.01.2000 के प्रावधानानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4. विभाग में संविदा / समेकित वेतन (Fixed Pay) पर कार्यरत कर्मचारी चयन के पात्र नही है।
5. संविदा/ समेकित वेतन की अवधि नियमित सेवाकाल में शामिल नही होगी।

(F.) आरक्षण :–

1. अन्य पिछडी जाति के उम्मीदवारों के लिए 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। **अन्य पिछडा वर्ग में चयनित नही होने वाले विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1 प्रतिशत आरक्षण विशेष पिछडा वर्ग में देय होगा।** राजस्थान राज्य के ही आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
2. निःशक्त अभ्यर्थियों को तीन प्रतिशत आरक्षण केवल ओ.एल (वन लेग) श्रेणी में होरिजेण्टल/वरीयता के आधार पर देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने तथा प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना होने पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा। (**सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।**)
3. राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाडा केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इस हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अर्थात् बांसवाडा, डूंगरपुर जिला तथा उदयपुर जिले की खैरवाडा/सराडा/सलूम्बर/धरियाबाद/कोटडा तथा गिर्वा तहसीलों के जनजाति विकास विभाग उदयपुर द्वारा निर्धारित 81 गांवो के अभ्यर्थी, प्रतापगढ जिले की अरनोद/प्रतापगढ तहसीलों के जनजाति तथा सिरोही जिले की आबूरोड तहसील एवं बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों के सहरिया जनजाति के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र है। (नोटः– जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किया जाने वाला परिवर्तन मान्य होगा।)
4. जनजातिय उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को एवं बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स मे भी नियमानुसार आरक्षण देय होगा। जिसके लिये ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी आवश्यक होगी।
5. राज्य सरकार के पत्र कमांक प.5 (330) चिस्वा./ग्रुप–3/97 दिनांक 26.11.2002 के प्रावधानानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों (सभी संवर्गो) को प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ होरिजेन्टल बेसिस पर वरीयता के आधार पर दिया जावेगा। महिला स्वास्थ्य

कार्यकर्ता / महिला स्वास्थ्य दर्शिका हेतु प्रशिक्षण कोर्स की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा इन्हें 6 माह के मिडवाईफरी प्रशिक्षण की छूट होगी।

6. राज्य सरकार के पत्रांक एफ.5 (23) चिकि.स्वा./ग्रुप-3/07 दिनांक 23.10.09 के प्रावधानानुसार निजी सहभागिता कार्यक्रम (Public Private Partnership Programme) के अन्तर्गत राजस्थान बाल कल्याण समिति, डूंगरपुर के अधीन संचालित जे.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, सागवाडा (डूंगरपुर) में डूंगरपुर जिले के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रवेश दिया जावेगा। डूंगरपुर जिले के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की स्थिति में उदयपुर संभाग के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। संस्थान में शुल्क का ढांचा अन्य निजी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों को शुल्क का आधा अर्थात 50 प्रतिशत दो वर्ष तक ही देय होगा। जो कि समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय/भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(नोटः- क.सं. (ई) में उल्लेखित विभागीय कर्मचारी तथा कम संख्या एफ (2) में उल्लेखित निःशक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर प्रशिक्षण की सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जावेगा)

(G) फीस :-

"राजकीय स्कूल्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों को काउंसलिंग में प्रवेश हेतु काउंसलिंग स्थल पर ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 180/- अग्रिम फीस राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट "**रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर**" के नाम पर जमा कराना होगा" तथा इस आशय का शपथ पत्र प्रवेशार्थी/प्रवेशार्थी के संरक्षक द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि राजकीय निर्णय अनुसार शुल्क में जो वृद्धि की जावेगी, उस शुल्क के अन्तर की राशि उसके द्वारा जमा करा दी जावेगी।

निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 38000/- वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास (निवास की स्थिति में) शुल्क के रूप में सिंगल बैडेड रूम रूपये 12000/- अधिकतम, डबल बैडेड रूम रूपये 8000/- अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रूपये 6000/- अधिकतम निर्धारित है। निजी क्षेत्र के संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु भी काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर ही फीस पेटे 10,000/- रूपये शुल्क अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट "**रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर**" के नाम पर जमा करवाना आवश्यक होगा। अन्यथा वरीयता सूची के अगले अभ्यर्थी को उसकी जगह प्रवेश दे दिया जावेगा।

(कन्हैया लाल स्वामी)
अति. निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर

भाग – स

(केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए)

1. नाम अभ्यर्थी ....

2. पदनाम स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( ) चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी ( ) अन्य कर्मचारी ( )

3. संवर्ग में नियमित नियुक्ति तिथि ....

4. वर्तमान पदस्थापन स्थान ....

5. जन्म दिनांक ..../......../...............

हस्ताक्षर आवेदक

उपरोक्त विवरण कार्यालय रिकार्ड अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नियुक्ति /प्रशासनिक अधिकारी मय
कार्यालय मोहर

भाग – द घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए उपरोक्त विवरण एवं संलग्न पत्रादि मेरी जानकारी मे पूर्णत सत्य है, तथा मैने कोई तथ्य छिपाया नही है। मेरे द्वारा दिये गये विवरण असत्य/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक पाये जाने पर मेरा आवेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिए मैं कोई आपत्ति नही करूंगा/करूंगी।

संलग्न :– प्रमाणित प्रतिलिपि का विवरण :–,

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :–

- आवेदक इस निदेशालय को आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "जी.एन.एम प्रशिक्षण 2013–14 हेतु आवेदन पत्र " अवश्य अंकित करे।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्पष्ट/पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा स्व–हस्तारक्षित होना आवश्यक हैं। अहस्तारक्षित आवेदन पत्र निरस्तनीय होगा।

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 में प्रवेश हेतु आवेदन का प्रारूप

भाग – अ

स्वयं का पासपोर्ट साईज का हस्ताक्षरित फोटो चिपकाऐ।

कृपया अपने से संबंधित बॉक्स पर (✓) का चिन्ह अंकित करे।

1. सीनियर सैकण्डरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में अभ्यर्थी का ऐच्छिक विषय (फैकल्टी)
   साईन्स (बॉयलोजी ग्रुप) ( ) अन्य विषय ग्रुप ( )
   (उक्त परीक्षा की अपनी अंकतालिका की प्रति भी संलग्न करे।)
2. अभ्यर्थी का लिंग :– महिला ( ) पुरूष( )
3. अभ्यर्थी का जाति वर्ग :–
   सामान्य ( ) अनुसूचित जाति ( ) अनुसूचित जनजाति ( )
   अन्य पिछडी जाति ( ) विशेष पिछडा वर्ग ( ) टीएसपी अनुसूचित जनजाति ( )
   टीएसपी अनुसूचित जाति ( )
4. क्या अभ्यर्थी निःशक्तजन (ओ.एल) श्रेणी में प्रवेश का पात्र हैं :– हा ( ) नही ( )
   (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
5. यदि विभागीय राज्य कर्मचारी है तो किस श्रेणी में पात्रता रखता है :–
   स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( ) चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी ( ) अन्य कर्मचारी ( )
   (इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र का भाग " स" भरना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य होगा।)
6. आवेदन शुल्क विवरण :– बैंक ड्राफ्ट द्वारा ( ) पोस्टल आर्डर द्वारा ( )

6.1 बैंक डी.डी. न./ पोस्टल आर्डर न. .... दिनांक ....राशि (रूपये ....)

6.2 बैंक (मय ब्रांच)/ पोस्ट आफिस का नाम ....

भाग – ब

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
2. पिता का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
3. पति का नाम (हिन्दी मे) ....
   (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों मे) ....
4. जन्म तिथि ....../........../............... (प्रमाण पत्र संलग्न करे)
5. दिनांक 01.10.2013 को आयु वर्ष ...... माह ..... दिन ....
   A. सामान्य श्रेणी के 02.10.85 से पूर्व एवं 02.10.96 के बाद जन्मे पुरूष अभ्यर्थी तथा 02.10.79 से पूर्व एवं 02.10.96 के बाद जन्मी महिलाऐ आवेदन के लिये अपात्र होगी।
   B. विभागीय श्रेणी की नियमित नियुक्ति पर 5 वर्ष पूर्ण सेवारत एएनएम (समेकित/ संविदा पर कार्यरत रही अवधि गणना योग्य नही) अभ्यर्थी जिनका जन्म 02.10.73 से पूर्व हुआ है आवेदन के लिए अपात्र होंगी।
   C. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी. श्रेणी के 02.10.80 से पूर्व एवं 02.10.96 के बाद जन्में पुरूष अभ्यर्थी तथा 02.10.74 से पूर्व एवं 02.10.96 के बाद जन्मी महिला अभ्यर्थी अपात्र होंगी।)
6. वर्तमान पता ....
   .... जिला ....राज्य ....
7. स्थायी पता ....
   .... जिला ....राज्य ....
8. दूरभाष न. एस.टी.डी. कोड़ सहित/ मोबाईल न. ....
9. शैक्षणिक योग्यता

क्र.स.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विवविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नम्बर	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रांप्ताकों का प्रतिशत

हस्ताक्षर आवेदक